तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख हुक्म की
27.06.2018	अपीलार्थी उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 4 उपस्थित। अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्रत्यर्थीगण प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत नारलाई द्वारा स्वीकृत विरासत ना.क. संख्या 2339 दिनांक 18.11.2016 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा नारलाई के खसरा नम्बर 1980 से 1984 व 1996 से 2000 तथा 2012 कुल रकबा 35.99 हेक्टर व खसरा नम्बर 1995 रकबा 1.96 हेक्टर भूमि में 1/3 हिस्सा मोतीसिंह पुत्र भोपालसिंह द्वारा धारित था। स्व. मोतीसिंह द्वारा दिनांक 31.03.2007 को अपीलाधीन वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्सा की भूमि अपीलार्थीगणों को वसीयत की गई। जिसका पंजीयन मोतीसिंह की मृत्यु के पश्चात दिनांक 21.07.2014 को उप पंजीयक कार्यालय देसूरी में हुआ। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलार्थीगणों के नाम नामान्तरकरण संख्या 1928 दिनांक 26.06.2015 को दाखिल जांच किया गया तथा सरपंच ग्राम पंचायत नारलाई द्वारा उक्त ना.क. संख्या 1928 अस्वीकार किया गया। उक्त ना.क. संख्या अस्वीकार होने के बावजूद तात्कालीन पटवारी द्वारा दिनांक 12.07.2015 को ना.क. संख्या 1928 स्वीकृत का नोट अंकित कर खतौनी सम्वत् 2070–73 की प्रमाणित प्रति अपीलार्थीगणों को जारी कर दी गई। इस संबंध में तहसीलदार देसूरी को निर्देश दिये जाते है कि वह पृथक से जाचं करें। पश्चात् अपीलाधीन ना.क. संख्या 2339 स्व. मोतीसिंह के वारिसान अपीलार्थी व प्रत्यर्थी 2 से 7 के नाम दाखिल किया गया व ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.11.2016 को स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कि गई है। प्रस्तुत अपील चूंकि वसीयतनामा दिनांक 21.07.2014 को आधार अंकित कर प्रस्तुत की गई है। इसके संबंध में जबकि वसीयत के अनुसार दाखिल ना.क. संख्या 1928 जो ग्राम पंचायत द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है, के विरूद्ध नियमानुसार प्रस्तुत कि जानी चाहिये थी। अपीलार्थी द्वारा वसीयतनामा के आधार पर दाखिल ना.क. संख्या 1928 जो खारिज किया गया के विरूद्ध कोई अपील नहीं कर अपीलाधीन ना.क. के विरूद्ध प्रस्तुत अपील इस स्तर पर परिपोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। (राजेश मेवाड़ा) उपखण्ड अधिकारी देसूरी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी